न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/77

1. केशन्ती पत्नि श्योदान
2. मिथलेश पुत्री श्योदान
3. रामकेश पुत्र श्योदान
4. रामहरि पुत्र श्योदान

समस्त जाति माली निवासी तालचिडी तहसील महवा जिला दौसा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील महवा, जिला दौसा।

–रेस्पॉडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा निर्णय दिनांक 20.03.2024

उपस्थित :–

1. श्री उमेश कुमार गौड, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–31.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 20.03.2024 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 25.06.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा, जिला दौसा द्वारा दिनांक 06.10.2022 को प्रस्ताव बाबत चालू स्थाई रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ ग्राम तालचिडी, तहसील महवा के आराजी खसरा नम्बर 372, 373 में से मौके पर चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा ने तहसीलदार महवा के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 06.10.2022 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में से मौके पर चालू स्थाई रास्तों को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 20.03.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स केशन्ती पत्नि श्योदान वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा दिनांक 20.03.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार महवा द्वारा उपखंड अधिकारी महवा जिला दौसा के यहां प्रार्थना पत्र दिनांक 6.10.2022 को खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 372, 373 के नक्शे मे रास्ता दर्ज करने के संबंध मे प्रस्तुत किया जिसमे खसरा नम्बर 372 व 373 के किसी भी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया। तहसीलदार महवा के प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2024

को जेर आदेश पारित करते हुए आदेश फरमाया कि राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 रा०भू०रा० अधि० 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 66 व 86 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुए राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एव दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार महवा की मौका रिपोर्ट के आधार पर ग्राम तालचिडी तहसील महवा स्थित आराजी खसरा नमबर 372 रकबा 0.42 है0 मे से 0.0420 है० खसरा नम्बर 373 रकबा 0.21 है० मे से 0.0128 है। कुल 0.0548 भूमि को सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग मे आ रही है, को प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये। आराजी खसरा नम्बर 372, 373 वाके ग्राम तालचिडी तहसील महवा के कई सहखातेदार है जिनमे किसी भी सहखातेदार को पक्षकार बनाये बिना तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर कानूनन त्रुटि कारित की हैं न्याय का सामान्य सिद्धान्त है कि व्यथित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होता है जिसकी अनदेखी कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.03.2024 पारित कर कानूनी त्रुटि कारित की गई है। सह खातेदार सूरज पुत्र कुन्दन सैनी की मृत्यु दिनांक 23.01.2022 को व सहखातेदार नादान पुत्र जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 31.01.2022 एवं सहखातेदार मलखान की मृत्यु दिनांक 3.3.2023 को व सहखातेदार शेरसिंह की मृत्यु दिनांक 26.01.2024 को व सह खातेदार श्योदान की मृत्यु दिनांक 25.02.2018 को हो गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदारान के विरूद्ध जेर अपील पारित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। अपीलांट की सहखातेदारी भूमि में किसी प्रकार के रास्ते का कोई वजूद नहीं रहा है तहसीलदार महवा द्वारा कुछ लोगो को फायदा पहुंचाने की गरज से गलत प्रकार से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विचार किये विधीविरुद्ध मृतक व्यक्तियो के विरूद्ध जेर अपील आदेश दिनांक 20.03.2024 पारित कर विधिक त्रुटि कारित की है।

अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व मे नही थी। उक्त जानकारी दिनांक 3.6.2024 को हल्का पटवारी से होने पर प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष 3.6.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 10.6.2024 को प्राप्त हुई उसके बाद कानूनी राय प्राप्त कर उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाते हुए उक्त अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाने की कृपा करे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.03.2024 न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी महवा प्रकरण संख्या 11/2022 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 03.06.2024 से होना अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि पटवारी हल्का के मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार मौके पर ग्रेवल सडक बनी हुई। जिससे जाहिर होता है कि रास्ता मौके पर चालू है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 में किसी प्रकार

की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2024 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति संभागीय आयुक्त
जयपुर